

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

दुरभाष एवं फैसलनमबर - 01592 - 235475 / 235474 E-mail Id : deepali.jain@gmail.com

कमाक - जिजिओ / दार / द्वा / मान्यता / 2012 / 562

दिनांक - 30.10.11

प्रदर्शन

किशोरी इन्टरनेशनल, चिरावा

विषय - नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए
नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपायम (4) के अधीन
विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

[19.10.11]

आपके दिनांक:- 23 फरवरी 2012 के आदेश और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चात्यर्ती
पत्राधार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं 1/4/10 31/3/13

तक तीन वष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक तीन वष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8
जाने के अध्याधीन हैं।

मान्यता की नियमी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए
कठोर विवरण दिया नहीं है।

2 विधालय नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाधन्य 1) और नि शुल्क एवं अनिवार्य^{वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाधन्य 2)} के उपबन्धों का पालन करेगा।

3 विधालय कक्षा 1 से उस कक्षा तक बालकों की संख्या 25 प्रतिशत तक आस-पास के कमज़ोर दर्दों और<sup>अनामी प्रति समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि शुल्क और अनिवार्य द्वारा मिल शिक्षा उसके पूरा
हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।</sup>

4 परा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों वै अनुसार प्रतिपूरित किया
जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी / विधालय किसी कौपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या^{सरकार को किसी स्कैमिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।}

6 विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा
प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या द्रव्यात्मा या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती घाहा गया
है।

7 विधालय सुनिश्चित करता है -

(i) प्रत्येक दारा उपर्युक्ती वी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्तीण
नहीं हो जायेगा या उसे विधालय से निश्चालित नहीं किया जायेगा;

(ii) किसी भी बालकों गारीबिक टण्ड या मानसिक उपीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा;

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोंड परिका उत्तीर्ण करने वी अपेक्षा नहीं की
जायेगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक जो नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण
पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चालता यस्त / विशेष अंगविष्टकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया
जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) वै अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती
है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताए नहीं हैं। पाच
वर्षों की अधिकी भी भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताए अंतिम करेगे।

(vii) प्रारम्भिक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कल्पन्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यालय खाली को किसी निजी अध्यापन किया। कालापो में नियोजित नहीं करेगा।

dr.


W.S.K.J.J.N.
Principal


Kishori International School
Chirawa(JJN)Raj.-333026

- 8 विधालय रामुविता प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य घर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विधालय अधिनियम की धारा-१७ में अधिकाधित विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विधालय अधिनियम की धारा-१९ में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
- विधालय परिसर का क्षेत्र
गल्ल निर्मित हावा
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
शालक और शालिकाओं के लिए पृथक शौधालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पर्शु
अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकुद उक्सकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
- 12 विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान भोक्तव्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा घलाया जा रहा है।
- 14 विधालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
- 15 विधालय के लेखाओं के घाटेड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मुन्सुनू की भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विधालय को आविष्ट मान्यता कोड संख्याक... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उत्त्वेषण करें।
- 17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निवेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, धीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मुन्सुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कानियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 18 सोसायटी के पजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 19 मतान उपाधि- ॥ के अनुसार अन्य कोई शर्त।

२० ८-७-२०११ के लालत गाप्टरको की मुर्ति भवदीय
वर्षा आपकी प्राप्तता रहद लाई जानेगी,

भवदीय,


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, मुन्सुनू


Principal
Kishori International School
Chirawa(JJN)Raj.-333026